भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3528

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

वित्तीय लिखत का उपयोग

3528. श्री मनोज राजोरिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण परिवारों द्वारा वित्तीय लिखत, विशेष रूप से बचत खातों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) 2016-17 और इसके निष्कर्षों पर संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संस्थागत बचत खातों के उपयोग को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं क्योंकि केवल 55 प्रतिशत परिवारों ने ही बचत की है और इनमें से 53 प्रतिशत ने संस्थाओं में बचत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने निष्क्रिय खातों के मुद्दे से निपटने सहित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारंबार उपयोग को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) 2016-17 के अनुसार, 50,000 से कम जनसंख्या वाले टियर-III से टियर-VI तक के केन्द्रों में सर्वेक्षण की तिथि से पिछले एक वर्ष के दौरान कुल परिवारों (कृषक और गैर-कृषक परिवारों सहित) में से 50.6% ने कुछ धन की बचत होना स्वीकार किया है।

देश भर में बैंकिंग विस्तार को बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन पर प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) नामक एक राष्ट्रीय मिशन का 28 अगस्त, 2014 को शुभारम्भ किया गया था। योजना के अंतर्गत किसी न्यूनतम शेष राशि के बिना एक मूलभूत बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोला जाता है। दिनांक 03.07.2019 तक देश भर में 36.06 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें 1,00,495 करोड़ रुपए की समग्र राशि जमा है। कुल 36.06 करोड़ खातों में से 21.37 करोड़ (59.26%) खाते ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में हैं।

इसके अतिरिक्त, अब तक लागू किए गए वित्तीय समावेशन के प्रयासों से प्राप्त लाभों को सुदृढ़ करने तथा देश के आर्थिक विकास में लोगों की भागीदारी को तीव्र गति प्रदान करने हेतु

उन्हें और आगे तक ले जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित संशोधनों के साथ पीएमजेडीवाई का दिनांक 14.08.2018 के बाद विस्तार किया गया हैः

- ओवरड्राफ्ट(ओडी) की 5,000/- रुपए की विद्यमान सीमा को 10,000/- रुपए तक बढ़ाया गया।
- 2,000 रुपए तक के ओडी के लिए कोई शर्तेंनहीं होंगी।
- ओडी सुविधा प्राप्तकरने के लिए आयु सीमा को 18-60 वर्ष से 18-65 वर्ष तक बढ़ाया गया।
- दिनांक 28.08.2018 के उपरान्त खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों में नए रूपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को मौजूदा 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खातों को खोलने के लिए अब "प्रत्येक परिवार के स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति" पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अपनाकर, बचत उत्पाद को जन-धन खातों से सम्बद्ध करके, रूपे कार्ड आदि का प्रयोग करके डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर इन खातों के जरिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) प्रवाह बढ़ाकर खातों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

*****